तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./8383/2006/भरतपुर पल्टू बनाम मंगल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री एस.पी.ओझा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 से 3 की ओर से।

आदेश

दिनांकः 31 जनवरी, 2019

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (भरतपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 144/2005 में पारित निर्णय दिनांक 01–11–2006 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक दावा संख्या 201/2004 पल्टू बनाम मंगल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–10–2005 का पुनरावलोकन इस आधार पर किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने दावा विचारण के दौरान विवादित भूमि पर किए निर्माण को हटाने (बेदखली) के अनुतोष हेतु धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने के बावजूद वाद के निर्णय दिनांक 06–10–2005 में उस पर निर्णय नहीं दिया गया, जो कि एरर अपरेंट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड है, पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पर दिये गये निर्णय में विधिक त्रुटि है कि प्रत्यक्षतः दर्शित त्रुटि का भी नजरंदाज कर पुनरावलोकन निर्णय दिनांक 01–11–2006 के विरूद्ध निगरानी पेश की गयी है कि पुनरावलोकन निर्णय दिनांक 01–11–2006 अपास्त कर पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करके दावे के निर्णय दिनांक 06–10–2005 में बेदखली का अनुतोष दिया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./8383/2006/भरतपुर पल्टू बनाम मंगल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी के एडमीशन व स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। 4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने तर्क दिया कि दावा की पत्रावली पर यद्यपि धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 06–10–2005 से पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया था फिर भी रिव्यू प्रार्थना पत्र के निर्णय में मात्र यह उल्लेख करके कि दावे की पत्रावली पर आदेशिकाओं से यह स्पष्ट नहीं है कि धारा 209 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था, न ही उस पर मार्किंग है, रिव्यू प्रार्थना पत्र को खारिज करना न्यायालय की जानबूझकर की गयी अनदेखी है एवं अवैध निर्माण का यह तथ्य भी पत्रावली पर है कि दौराने दावा निर्माण कार्य किया गया था, की भी अनदेखी की गयी है, अतः रिव्यू निर्णय में भी एरर अपरेंट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड है, अतः निगरानी स्वीकार की जावे। 5– जवाब बहस में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने तर्क दिया कि न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं में धारा 209 के प्रार्थना पत्र का हवाला नहीं होना तो न्यायालय की कार्यप्रणाली का द्योतक है, वह पारदर्शी रही है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब प्रस्तुत हुआ था, यह प्रमाणित करना प्रार्थी/वादी का दायित्व है, जो कि वह स्पष्ट नहीं कर सके। अतः रिव्यू निर्णय में पीठासीन अधिकारी द्वारा तथ्यात्मक व कानूनी त्रुटि नहीं की गयी है एवं निर्माण कार्यवाही दावा दायरी के पूर्व की ही थी, यह बयानों से जाहिर है। अतः निगरानी में उठाये उज्रात आधरहीन होने से निगरानी खारिज की जावे। 6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् दावे में कायम की गयी तनकी का निर्णय दोनों पक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर किया था जिसमें यह उल्लेख नहीं है कि दौराने दावा निर्माण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./8383/2006/भरतपुर पल्टू बनाम मंगल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्य किया गया है एवं इस बाबत् धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थना पत्र की रिलीफ पाने का भी बहस में उल्लेख नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दावे का निर्णय दिनांक 06–10–2015 प्रसारित होने के पूर्व वक्त विचारण प्रस्तुत नहीं होने का रिव्यू प्रार्थना पत्र के निर्णय में किया गया विश्लेषण तथ्यात्मक होने से निगरानी का यह उज्र प्रमाणित नहीं होता कि दावे का निर्णय दिनांक 06–10–2005 में उक्त कारण से एरर अपरेंट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड रही थी। अतः स्पष्ट है कि रिव्यू प्रकरण संख्या 144/2005 का निर्णय दिनांक 01–11–2006 में कोई विधिक या कानूनी त्रुटि नहीं होने से निगरानी के तथ्य सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 7– परिणामतः निगरानी एडमीशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सूरज भान जैमन)** **सदस्य**	